PRATIGYA
Campaign for Gender Equality and Safe Abortion.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या चिकित्सकीय गर्भसमापन (एमटीपी) अधिनियम के अंतर्गत लिंग चयनित गर्भपात गैर कानूनी है?
हाँ, चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून (एमटीपी) के अंतर्गत कानूनी गर्भपात करवाने के लिए लिंग चयन करना स्वीकृत स्थिति नहीं है। एमटीपी अधिनियम के अंतर्गत, भारत में निम्न परिस्थितियों में गर्भपात कानूनी है -
जब गर्भ के कारण गर्भवती के जीवन को खतरा हो या गर्भवती की वास्तविक या संदेहात्मक निकटस्थ परिस्थिति में गर्भवती के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को जानलेवा गंभीर चोट पहुंची हो।
जब बच्चे के पैदा होने में गंभीर खतरा हो, वह शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं जैसे गंभीर विकलांगता से ग्रसित हो सकता हो।
दुष्कर्म की स्थिति में।
जब विवाहित महिला या उसके पति जिन परिवार नियोजन के साधनों या तरीकों को परिवार नियोजन के लिए इस्तेमाल करते थे, वह असफल हो गए हो।

क्या सभी दूसरे-तिमाही गर्भपात लिंग चयनित होते है? महिला दूसरे तिमाही में गर्भपात क्यों चाहती है?
नहीं सभी दूसरे तिमाही गर्भपात लिंग चयनित नहीं होते। वास्तव में, लिंग निर्धारण मुख्यतः गर्भधान के दूसरे तिमाही में होता है, जबकि भारत में 80 से 90 प्रतिशत गर्भपात प्रथम तिमाही में होते है। भारत में, कुछ महिलाऐं दूसरे तिमाही तक गर्भसमापन में लिंग चयन के अतिरिक्त अन्य कारणों से देरी करती है। साधारणतः गरीब, युवा और अविवाहित महिलाओं में गर्भपात देरी से चाहने के मामले होते है, जो प्रायः कई तथ्यों पर गलत जानकारी रखती है: वे गर्भधान के संकेतों को नहीं समझती, एक गर्भपात के संभावित या कानूनी पहलुओं की अनिश्चितता, प्रारंभिक गर्भपात (प्रथम तिमाही में) के महत्व को जानना और सुरक्षित सेवाओं के स्थान।

क्या गर्भपात चाहने वाली महिला केवल गर्भसमापन तभी करवा सकती है जब भ्रूण कन्या हो?
नहीं, अधिकतर महिलाऐं जो गर्भपात करवाती है वे इसलिए क्योंकि वह और बच्चें के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि गर्भनिरोधक असफल हो चुके होते है, क्योंकि वे अविवाहित है या क्योंकि उनका दुष्कर्म हो चुका है। संभावित तथ्य है कि देश में सभी गर्भपातों में से दो या चार प्रतिशत पुत्र चयनित गर्भपात होते है। 2001-2008 के तथ्यों के अनुसार, 4.6 प्रतिशत कन्या जन्म प्रसवपूर्व लिंग चयन के कारण नहीं हो पाए।

क्या प्रसवपूर्व लिंग चयन ही बच्चों में घटते लिंग अनुपात का कारण है?
नहीं, बच्चों के घटते लिंग अनुपात का मुख्य कारण पुत्र की इच्छा है। इसके कारण ना केवल प्रसव पूर्व बल्कि जन्म के बाद भी कन्याओं के साथ भेदभावपूर्व व्यवहार होते है। लडकियां जन्म के तुरंत बाद मार दी जाती है या उन्हें परिवार के बाहर किसी को गोद दे दिया जाता है जिनके लिए कई बार कोई ब्यौरा नहीं होता। भेदभावपूर्ण पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा भी प्रसव पश्चात् लडकियों की मृत्युदर को बढ़ाते है जो कुछ राज्यों के शिशुओं के लैंगिक विलम्बन और पाँच वर्ष के अंदर मृत्युदर में दिखाई देता है। यह दर जनगणना में लडकियों की गणना नहीं होने से भी प्रभावित हो सकता है।

महिलाओं के लिए गर्भपात की पहुंच को प्रतिबंधित करने के क्या परिणाम हो सकते है?
सुरक्षित गर्भपात सेवाओं पर प्रतिबंध से महिलाओं के स्वास्थ्य पर दूरगामी परिणाम हो सकते है - विशेषतः यदि वे गरीब या कम शिक्षित है और इससे उनके मानवाधिकारव प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लघंन भी हो सकता है। (गनत्रा, 2008)। प्रमाण दर्शाते है कि यदि महिला सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को नहीं लेती तो वे प्रायः असुरक्षित विकल्प चुनती है। (डब्ल्यू.एच.ओ. 2007)। दूसरी तिमाही के गर्भपातों पर प्रतिबंध लगाना या गर्भपात की बढ़ती अनावश्यक रिपोर्टिंग की जरूरतें गर्भपात सेवा प्रदाताओं को हतोत्साहित करेगी। सरकार द्वारा गर्भपात तक पहुंच पर नियंत्रण करने की कोई भी

तुरंत कार्यवाही सब तरफ फैली इस धारणा की पुष्टि में सहयोग देगी कि भारत में गर्भपात गैरकानूनी है। इससे उन महिलाओं का जीवन खतरे में पड जाएगा, जिन्हें शीघ्र और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की आवश्यकता है।

ऐसे कौन से उपाय है जो लैंगिक भेदभावपूर्ण लिंग चयन और गर्भपात तक पहुंच की कमी इन दोनों मुद्दों को संतुलित समाधान दे सकते है?

नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ काम करते हुए उन तरीकों पर चर्चा करे जिससे एमटीपी और पीसीपीएनडीटी दोनों अधिनियम उनके मंतव्यों को पूरा करने में क्रियान्वित हो, अर्थात् असुरक्षित गर्भपात तथा साथ ही लैंगिक भेदभावपूर्ण लिंग चयन क्रमशः रोका जा सके।

पीसीपीएनडीटी और एमटीपी अधिनियमों के क्रियान्वयन में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के मध्य संवाद बढाया जाए जिससे कि उन रणनीतियों के बारे में सर्वसम्मति बन सके जिनसे दोनों अधिनियमों की प्रभावी क्रियान्विति और मंतव्यों स्पष्ट जानकारी के साथ सुनिश्चित हो सके।

कार्यशील जिला स्तरीय कमेटियां जो एमटीपी अधिनियम के अंतर्गत एमटीपी मामलों की नियमित रिपोर्टिंग के साथ दूसरे तिमाही गर्भपातों की रिपोर्टिंग के लिए भी सुनिश्चित है।

लैंगिक भेदभाव और चयन के विषयों पर केन्द्रित संप्रेषण अभियान चलाए जाए।

इस बात पर जनता को स्पष्ट करना कि देश में लिंग चयन गैर कानूनी है जबकि गर्भपात (कुछ परिस्थितियों में) कानूनी है।

उचित नियम और निगरानी को सुनिश्चित करना जिससे कि गैर कानूनी तथा अनैतिक कार्यवाहियों को नियंत्रिण में रखा जा सके बनिस्पत इसके कि अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए जाए, जैसे कि गर्भपात की दवाओं की बिक्री की अनुमति न देना या एमटीपी के लिए सुविधाओं के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा देना।

ऐसे कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन की सहायता करना जिससे कि लिंग चयन के सामाजिक कारकों तथा कन्याओं के साथ होने वाले भेदभाव के विषयों से निपटा जा सके।

Pratigya : Campaign for Gender Equality and Safe Abortion
Secretariat, B-37, Gulmohar Park, New Delhi 110049
Ph: 91-11-49840000| Email: secretariart@pratigyacampaign.org
www.pratigyacampaign.org